

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी चतरुबाई..... विपक्षीधर्मा.....

किस्म मुकदमा.....वाद..... पत्रावली संख्या.....371.....सन.....19.....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 21.11.2019</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते नाम कायमी विचाराधीन है। प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यु बाबत उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.8.18 को न्यायालय में वादी अधिवक्ता को अवगत कराया जाकर आदेशिका पर मृत्यु बाबत अंकन किया गया, किन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा आदिनांक तक प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान की नाम कायमी हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। गत सुनवाई दिनांक 19.11.19 को भी वादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने पर भी न्यायालय द्वारा न्याय हित में नाम कायमी हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। आज भी वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित है। न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में रुक रुक कर तीन बार आवाज लगवायी गई, किन्तु वादी अथवा वादी अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय समाप्त होने तक वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए जिससे जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गम्भीर नहीं हैं या वादी अपने वाद में पैरवी नहीं करना चाहता है एवं इस मुकदमे को अब नहीं चलाना चाहता है।</p> <p>अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर</p>	

--	--	--

